# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या : 93/2013**
**तारीख दायर : 31.05.2013**

**अनवान**

1. रामलाल पिता भेरू जाति गुजर निवासी लक्ष्मीपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––वादी**

**बनाम**

1. धापू पत्नि हीरा जाति गुजर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

**––प्रतिवादिया**

**उपस्थित :–**

1. श्री हरीश सनाढ्य (अधिवक्ता वादी)
2. प्रतिवादिया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

## वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

**–: निर्णय :–**

**दिनांक 20.01.2020**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा वादी, वादी की बहन भूरी व माँ भोली के शामलाती खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही है जिसको वादी, भूरी व भोली द्वारा काश्त किया जा रही है एवं जिसका वादी समय समय पर लगान जमा कराता चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को वादी ने किसी भी व्यक्ति को रहन विक्रय नहीं किया है। उक्त कृषि भूमि पर वादी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है। उक्त कृषि आराजियात के उत्तरी सीमा पर 1 बिस्वा भूमि पर विगत 11 माह पूर्व प्रतिवादिया द्वारा वादी की अनुपस्थिति में जबरन कब्जा कर बन्धा लगा दिया। जब वादी को पता चला तो वादी ने प्रतिवादिया को कब्जा करने के सम्बन्ध में उलाहना दिया तो प्रतिवादिया ने कहा कि तुम्हारी जमीन की पत्थरगढ़ी करवा लेना अगर तुम्हारी जमीन हमारे कब्जे में निकलेगी तो हम कब्जा छोड़ देंगे, जिस पर वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहाँ पत्थरगढ़ी का प्रार्थनापत्र पेश किया जिसके प्रकरण

संख्या 247/12 है। उक्त प्रकरण में भू0अ0नि0 काछोला एवं पटवार हल्का राजगढ़ की मौजूदगी में दिनांक 19.06.2012 को वादी की खातेदारी भूमि की प्रतिवादिया एवं गाँव के अन्य मौतबिरान के समक्ष मुस्तगीम मुटाम से जरीब चलाकर पत्थरगढ़ी की गयी। जिसमें आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा की उत्तरी सीमा में 1 बिस्वा कृषि भूमि पर प्रतिवादिया का कब्जा पाया गया। उसी दिनांक 19.06.2012 को वादी ने प्रतिवादिया को कब्जा हटाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादिया द्वारा गाली गलौच की गई एवं मारपीट करने पर आमादा हुयी। प्रतिवादिया द्वारा वादी की जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा गया एवं प्रतिवादिया द्वारा जबरन वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। प्रतिवादिया ने वादी की जमीन से कब्जा छोड़ने बाबत इन्कार कर दिया जिससे वादी के पास वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। वादी द्वारा दिनांक 19.06.2012 एवं अन्तिम बार प्रतिवादिया को दिनांक 08.04.2013 को वादग्रस्त आराजियात से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादिया इन्कार हो गयी व लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुई उसी दिन से वाद कारण उत्पन्न होकर सतत रूप से जारी है। वादपत्र उचित न्याय शुल्क एवं मय डुप्लीकेट कॉपी के पेश है। अतः निवेदन है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा में से 1 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से प्रतिवादिया द्वारा अतिक्रमण करने से उसको अतिक्रमी घोषित किया जावें एवं आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा में से 1 बिस्वा भूमि से प्रतिवादिया को बेदखल कर वादी को कब्जा सुपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया के सादिर फरमायी जावें। आराजी संख्या 136/44 रकबा 1 बिस्वा भूमि का मुआवजा एवं लगान का 50 गुणा अधिक वादी को प्रतिवादिया से दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया सादिर फरमायी जावें और अन्य कोई अनुतोष जो धारा 209 के तहत वादी को मुफरीद हो प्रतिवादिया से दिलाया जावें। हर्जा खर्चा मेहनताना वकील वादी को प्रतिवादिया से दिलाया जावें।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादिया को नोटिस सम्मन मय नकल वाद पत्र भेज करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 14.01.2013 को प्रतिवादिया के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादिया के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। दिनांक 24.05.2017 को राजस्व लोक अदालत एवं कैम्प कोर्ट अभियान ''न्याय आपके द्वार'' मुकाम राजगढ़ में प्रतिवादिया द्वारा उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में वादी रामलाल पुत्र भेरू गुर्जर निवासी लक्ष्मीपुरा ने दावा किया कि मैने वादी की भूमि के 1 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरा मेरी जमीन पर ही कब्जा है अगर वादी की 1 बिस्वा जमीन पर मेरा कब्जा पया जाता है तो मै छोडने को तैयार हूँ।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी में कोई गवाह पेश नहीं किये जाने से दिनांक 14.01.2020 को साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादी की कृषि भूमि आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा में से 1 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से प्रतिवादिया द्वारा कब्जा किया गया है। अतः ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा में से 1 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से प्रतिवादिया द्वारा अतिक्रमण करने से उसको अतिक्रमी घोषित किया जावें एवं आराजी संख्या 136/44 रकबा 2 बीघा में से 1 बिस्वा भूमि से प्रतिवादिया को बेदखल कर वादी को कब्जा सुपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया के सादिर फरमायी जावें। आराजी संख्या 136/44 रकबा 1 बिस्वा भूमि का मुआवजा एवं लगान का 50 गुणा अधिक वादी को प्रतिवादिया से दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादिया सादिर फरमायी जावें और अन्य कोई अनुतोष जो धारा 209 के तहत वादी को मुफरीद हो प्रतिवादिया से दिलाया जावें। हर्जा खर्चा मेहनताना वकील वादी को प्रतिवादिया से दिलाया जावें।

हमनें अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 32, पर्चा मौका पत्थरगढ़ी ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ दिनांक 19.06.2012 तथा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 136/44 रकबा 02 बीघा किस्म बंजड़ ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ वादी की खातेदारी में स्थित कृषि भूमि है एवं उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादिया द्वारा अवैध अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादिया को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी को सुपूर्द करे। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**(त्रिलोक चन्द मीना)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**माण्डलगढ़**

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.22 12:52:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: